

प्रशासन गावों के संग अभियान 202

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0 आवेदन पत्र के माध्यम से जमा की जायेगी

के द्वारा दर्ज प्रमाणपत्र, विकाश द्वारा जारी निवेदन के मुताबिक मूलका प्रधान
 नाम शुद्ध किया जाकर उचित है। नाम परिवर्तन करके के अनुसार

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी गुडागौड़जी
 07/12/2021
 5 30 को

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंगा की जाती है / की जाती है।

13/12/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडागौड़जी
तहसीलदार गुडा गौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 13-12-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुडागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुडागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	जेवरी	2075-78	412	राजीवगंधी जहदाला हानी - भदतावाली	श.रा.वि. भदतावाली

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 2163

दिनांक :- 13-12-2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुडागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

